40

दिनांक 02-01-2023

सेवा में,
आदरणीय डा० वाई० वी० झाला, डीन, एफ० डब्लू० एस०
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील ।

महोदय, मैंने दिनांक 21-12-2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से कुछ सूचनाएं मांगी थी, इसमें मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है कि भी सूचना भी मांगी थी।

इसके बाद मैंने दिनांक 12-01-2023 को ऐक अन्य आवेदन लाभान्वित वर्ग के संदर्भ में सूचना पाने हेतु, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से कुछ सूचनाएं मांगी थी है।

चुंकि इस एक्ट के तहत प्रथम आवेदन पर मांगी गयी सूचना मुझे 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं हो पायी, और मुझे ज्ञात नहीं था कि संस्था में प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है अतऐव मैंने नव निदेशक आदरणीय निदेशक श्री विरेन्द्र आर तीवारी IFoS को प्रथम अपीलीय अधिकारी मानकर दिनांक 30-01-2023 को सूचना न मिलने की सूचना दी हैं, साथ में मैंने अपने कथन पक्ष में तमाम दस्तावेज साक्ष्य रूप में पेश किये है। यह नये अधिकारी है, यहां के हालात से परिचित नहीं है अतः मैंने अन्य निवेदन पत्र द्वारा इन्हें RTI आवेदन भेजने का कारण भी स्पष्ट किया है।

मैं इन सभी आवेदन पत्रों की एवम् प्रथम अपील की छाया प्रति **संलग्नित** कर आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं, इसके साथ केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से प्राप्त दोनों आर० टी० आई० पत्र, की सूचनाएं संलग्नित है। कृपया अध्ययन करें।

मुझे अब दिनांक 02-2-2023 को अपने दोनों उपरोक्त उल्लिखित आर० टी० आई० पत्रों की सूचनाएं मुझे स्पीड पोष्ट द्वारा मिली है। यह सूचना केवल ऐक बहानेबाजी है, अतः मैं इस सूचना से कदापि सहमत नहीं हूं, इसमें ही मुझे ज्ञात हुआ है कि आप डीन महोदय इसके प्रथम अपीलीय अधिकारी है।

यह मामला जनहित और संवैधानिक नीतियों और मूल्यों से जुडा है। इन दोहरी नीतियों से मेरा जीवन प्रभावित हुआ है, यदि संस्थान का कार्य शुचितापूर्ण रहा है तो मांगी गयी सूचना देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह स्वायत्त शासी संस्था नीजि कमाई पर नहीं अपितु केन्द्रीय बजट पर चलती है, अतः इसे संवैधानिक नीतियों पर चलना जरूरी है। ज्ञात होना चाहिए कि इस कार्यवाही में ऐक छोटे कर्मचारी का कितनी ही बार छाया प्रति देने में कितना धन अकारण व्यय हो रहा है।

मेरा यह भी विनम्र निवेदन है कि मैंने हिंदी भाषा में सूचनाएं मांगी है अतऐव मुझे हिंदी भाषा में ही सूचनाएं प्रदान करायें। प्रशासकों की नीजि दुर्बलताओं ने संस्था को इस हाल पर पहुंचाया है। यह मामला अब न्यायालय जायेगा, अतः कृपया मांगी गई दोनों आवेदन पत्रों की सूचनाएं सुस्पष्ट व सभी विंदुओं पर उपलब्ध करवायें।

आवेदक
नाम- भुवन चंद उपाध्याय पुत्र स्व० बालादत्त उपाध्याय
पता - चंद्रबनी खालसा, (निकट गोल मार्केट)
पो० ओ० मोहब्बेवाला,
जिला- देहरादून, पीन कोड. 248002
हस्ताक्षर
मोबाईल नं० 87559 63739

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Appl. No. 29 Qtr. IV Year 2022-23
Fee _____ Inward Date 2/2/23
Please examine
Dhula
2/2/23

CPIO RTI

37

दिनांक 30/1/2023

सेवा में,
आदरणीय प्रथम अपीलीय अधिकारी,
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील ।**

श्रीमान जी, मैं दिनांक 21-12-2022 को केन्द्रीय सूचना अधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को बाई हैंड प्रथम RTI आवेदन देने संस्था में आया था, परंतु इनके अनुपस्थित रहने के कारण मैंने यह आवेदन वर्तमान कार्यकारी कुल सचिव, डा० रुचि बडोला, वैज्ञानिक महोदया के सुझाव पर उनके कार्यालय में दिया है जिसका शुल्क रू० 10/ पोस्टल आर्डर सं० 67F 211719 साथ में संलग्न किया है।

RTI Act 2005 की धारा 7(1) के तहत CPIO, WII ने मुझे 30 दिन के समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करायी है, अतः आपको प्रथम अपील की जा रही है कि कृपया आप इसकी सूचना अविलंब निःशुल्क उपलब्ध करवायें। मेरे द्वारा दिनांक 12-01-2023 को दिये गये दूसरे RTI जोकि Speed Post द्वारा दी गयी है। यह दोनों RTI ऐक दुसरे से संबंधित है, इसकी सूचना भी तय समय पर देना सुनिश्चित करायें।

आपका अपना / आवेदक
हस्ताक्षर
नाम- भुवन चंद उपाध्याय / पुत्र स्व० बालादत्त उपाध्याय
पता - चंद्रवनी खालसा, (निकट गोल मार्केट)
पो० ओ० मोहब्बेवाला, देहरादून।
मो० नं० 87559 63739

संलग्नित साक्ष्य प्रतिलिपि-

1-दिनांक 21-12-2022, का **RTI** & (By Hand) प्राप्ती रसीद। प्रमाण
2-आवेदन फीस के रूप में 10 रू० **पोस्टल आर्डर** संख्या 67F 211719

3-दिनांक 12-01-2023 की **RTI** & (Speed Post Slip)
4-आवेदन फीस के रूपँ में 10 रू० **पोस्टल आर्डर** संख्या 57F 211718

P.B. 30/1/2023

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA • CHANDRABANI, DEHRADUN •

(36)

दिनांक 30.1.2023

सेवा में,
आदरणीय निदेशक महोदय,/ प्रथम अपीलीय अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

श्रद्धेय महोदय, सादर, सप्रेम नमस्ते! मैं अत्यंत हर्षित हूं कि आपका संस्थान में पदार्पण हुआ है, अतः आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। निदेशक पद का दायित्व भार संभालने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपको नव वर्ष 2023 की भी बहुत-बहुत बधाई। श्रीमान जी मैं न्याय हेतु आपके आगमन की प्रतिक्षा कर रहा था।

RTI देने का कारण यह है कि मुझे 31½ साल की सेवा में क्रमशः दो ही Assessment GP 2400/ एवं 2800/ मिले है इसका **चार्ट** साथ में संलग्न है, अतः वर्ष 2017 से हम अपने प्रबंधकों से तीसरे Assessment GP 4200/ का निवेदन करते आये है। मैं अभी तक 11 पत्र दे चुका हूं, परंतु मुझे न न्याय मिला न उत्तर। न्याय की प्रतिक्षा करते जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हो गया हूं। मैं इस मांगी गयी दोनों RTI सूचना को उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं।

संस्था में 68th GB Meeting Dated 9th Nov,2018 हुई, इसमें रखे गये यही प्रस्ताव 63rd GB Meeting, 28th November 2014 में भी रखे गये थे, तब 63rd GB ने इसे स्वीकृत करने के बजाये प्रशासकों को यह सुझाव दिया था कि इसमें सभी वर्गों के हित मामले रखें। इसके लिए पहले ऐक Internal Committee का गठन करें। अतः Internal Committee बनी, इसके सामने हमने भी अपना पक्ष रखा था, इस कमेटी ने हमें भी अगला Assessment GP 4200/ देने का प्रस्ताव अपने Draft Report में रखा था, **प्रति संलग्न है**, परंतु प्रशासन ने इसे इस 68th GB में नहीं रखा, अतः हमारा अहित हुआ है।

इसके बाद 03 नवंबर 2022 को संस्था की अगली 69th GB संपन्न हुई। इस बार भी अन्य प्रगति मामले रखे, हमारे नहीं। प्रशासन ने जिसे पदोन्नति देना चाहा, उनकी फाईलें वर्तमान निदेशक डा० यादव महोदय से स्वीकृत कराया। हमारा मामला कभी High Level Committee में, कभी Grievance cell में भेजा है। प्रशासन ने न 63rd GB-2014 के सुझाव को महत्व दिया, न Internal Committee की सिफारिश को स्वीकारा। यहां केवल Admin. Staff को ही नहीं, 68th GB से तकनिकी समूह को भी CSIR Pattern से आगे का लाभ दिया है। यहां पूर्व और वर्तमान वैज्ञानिक प्रशासकों ने अपने-पराये का भेद कर अपने-अपने हित स्वार्थ में व्यवस्था को संचालित किया। संलग्नित साक्ष्य दोनों वर्तमान प्रशासकों को भी अलग-अलग दे चुका हूं, परंतु किसी ने सरोकार नहीं रखा।

उच्चतम लाभ बटोरने की प्रतिस्पर्द्धा में योजनागत् पिछले 3½ साल में सेवानिवृत्ति से ऐक माह पूर्व 4 कर्मी डिप्टी रजिस्ट्रार,3 कर्मी ऐकेडेमिक अफसर बने। इस जांच से स्वयं को और अपना सेवानिवृत्ति लाभ बचाने हेतु श्री अग्रवाल जी ने अप्रैल 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। इनके सेवाओं की विदाई मंच से सराहना हुई, परंतु जिन आदरणीय डा० डी० मोहन IFS महोदय ने इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, **प्रति संलग्न है**। इन महोदय को विदाई मंच से अपमानित किया है।

कृपया इन दोनों विदाई समारोहों की विडियोग्राफी मंगाकर देखें। श्री अग्रवाल के सहयोगी राजीव मेहता को सेवानिवृति के बाद नया प्रशासकीय सलाहकार बनाया है, यहां ऐसे लोग पसंद है, इनके कई-कई रिस्तेदार संस्था में लगे है। इनके साजिशों के कारण अब तक तीन सत्यनिष्ठ, भूतपुर्व निदेशक आदरणीय सावरकर महोदय व निदेशक, डा० डी० मोहन IFS महोदय, एवं कुल सचिव, डा० मोनाली सेन IFS महोदया, अपना पद त्याग चुके है। इनके विदाई के बाद कई कर्मियों को वर्तमान कार्यकारी प्रशासकों ने 68th GB का लाभ बांटा है। पूर्व प्रशासक में नेकी या सद्भाव था तो सभी को केवल ऐक-ऐक ही स्टेप प्रगति की ओर बढाते, परंतु इन्होंने ऐसा न कर किसी को प्रगति की ओर कई स्टेप आगे बढाया, किसी को नहीं, यह कैसी वैचारिकता और प्रशासकीय नीति है, और ऐसे लाभ किस संस्था में देय है।

ऐसे हालात में कोई भी नेक प्रशासक कब तक सत्यनिष्ठ रहेगा? क्या इस RR-2019 की मिशाल देकर अन्य संस्था इसका अनुकरण नहीं करेगी? यदि स्वायत्त शासी संस्था के नाम पर ऐसी मनमानी व पक्षपात मान्य है तो संवैधानिक नीतियों व शासकीय मर्यादाओं का क्या औचित्य? यह सभी जनहित से जुडे मामले है विचार करें।

यहां प्रतिनियुक्ति पर आये सभी IFS प्रशासकों ने निष्पक्ष रहकर अपना बेहतरीन प्रशासन दिया है। इन सभी ने प्रभावितों को न्याय दिया है सभी की समस्याएं सुनी है। इनके रहते प्रशासकीय कार्यशैली में शुचिता और पारदर्शिता आयी थी, न्याय और विश्वास का राज रहा, परंतु यहां के अधिकारी अपने कर्मचारियों के किसी काम न आये। दो अवसरों पर शीर्ष पदों पर IFS प्रशासक न रहने के कारण यहां दोनों बार घोटाला हुआ है दोनों बार इनके कार्यालय सील हुए, दोनों बार परिचित अधिकारियों से जांच कराया गया, लेकिन इसके रिजर्ट का किसी को पता नहीं। दोषी लोग पदोन्नती पर पदोन्नती पाते चले गये।

OK

P-B 6/0
30/1/223

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
CHANDRABANI, DEHRADUN

CSIR Pattern में हमें 7 वर्ष में एक Assessment देय है। हमारे तीन बार Interview हुए, अतः TG-I (Lab. Assisstant) को यह लाभ मिला।

पुराने कर्मी को CSIR RR-2006 पर यह लाभ मिला, **साक्ष्य संलग्न**	Starting GP.1800/ (March.1991)	Assessment- I, GP.1800/ (March.1998)	Assessment-II, GP.1900/ **साक्ष्य** (March 2005)	Assessment III, GP.2800/ (March .2012)	Total Assessment Two
हम पुराने कर्मी को Revised CSIR Circular Letter No. 5-1(3) / 2008 -PD Dated 4th October 2008 पर यह लाभ मिला। **साक्ष्य संलग्न**	Same	**Revised GP.1900/** परंतु हमें वर्ष1998 में यह **GP.1800/** मिला। तब यही देय था। **साक्ष्य संलग्न**	**Revised GP.2400/** जनवरी 2006 का संशोधित लाभ अब 68th GB, 2018 में रखा। इसका Arears अब 2021 में मिला। **साक्ष्य संलग्न है।**	Same	Two पुराने कर्मी के समक्ष शेष अगले 16 वर्ष में प्रगति के अवसर है, परंतु पुराने कर्मी रिटायर हो रहे है इन्हें तीसरी प्रगति मिलनी चाहिए।
नये कर्मी को Revised CSIR Circular No.. 5-1 (88) / 2010-PD Dated 21st July 2010 पर यह मिला। **साक्ष्य संलग्न**	**Merged** both G.P.	GP.1900/	GP.2800/	-- Nil-	Two
प्रशासन ने RR-2019 में इसे तीन Assessment मिला दर्शाया है,	GP.1800/	Assessment- I, GP.1900/	Assessment-II, GP.2400/	Assessment III, GP.2800/	Three इनसे इस पुष्टि का साक्ष्य दस्तावेज दिलवायें।

प्रबंधक हम TG-I, Pay Matrix Level–1, को अगला G.P. 4,200/ न दे सके, परंतु Admin. Group, Level –2 से 5 वाले बिना किसी Test बिना Interview बिना Extra Qualification के Level –13A तक पहुंचे। फिर भी इनके सेवा वर्ष शेष है। इसमें श्री अग्रवाल जी आशुलिपिक, को जनवरी 2006 से इस 68th GB के माध्यम से Level – 13A, GP.8,900/ का लाभ दिया, जबकि यह जनवरी 2006 में Level-6, GP 4,200/ पर रहे होंगे।

Pay Matrix Table for Employees of the Central Government .
Grade Pay- Rs 1, 800 to Rs 2, 800, / **Level-** 1 to Level 5 / **PB-1** (Rs 5, 200 to Rs 20, 200)

G.P.	Rs. 1800	Rs. 1900	Rs. 2400	Rs. 2800
Level	1	2	3	4

Grade Pay- 4200 to 5,400, / **Level-** 6 to Level 9 / **PB-2-** (Rs 9, 300 to Rs 34,800)

G.P.	Rs. 4, 200	Rs. 4, 600	Rs. 4, 800	Rs. 5, 400
Level	6	7	8	9

Grade Pay- 5, 400 to 7, 600, / **Level-** 10 to Level 12 / **PB-3-** (Rs 15, 600 to Rs 39, 100)

G.P.	Rs. 5, 400	Rs. 6, 600	Rs. 7, 600
Level	10	11	12

Grade Pay- 8, 700 to 10,000, / **Level-** 13 to Level 14 / **PB-4** (Rs 37, 400 to Rs 67,000)

G.P.	Rs. 8, 700	Rs. 8, 900	Rs. 10,000
Level	13	13 A	14